"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 8] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 20 फरवरी 2009—फाल्गुन 1, शक 1930

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 फरवरी 2009

क्रमांक ई-7/15/2003/1/2.—श्री आर. पी. जैन, भा. प्र. से., सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग को दिनांक 24-02-2009 से 07-03-2009 तक (12 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 21, 22 एवं 23 फरवरी, 2009 तथा 08-03-2009 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री जैन, आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.

3. अवकाश काल में श्री जैन को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जैन, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 6 फरवरी 2009

क्रमांक 323/196/2009/1/2.—श्री संजय गर्ग, भा. प्र. से., कलेक्टर, राजनांदगांव को दिनांक 02-02-2009 से 07-02-2009 तक (06 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 01 एवं 08 फरवरी, 2009 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री गर्ग, आगामी आदेश तक कलेक्टर, राजनांदगांव के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री गर्ग को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री गर्ग अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री गर्ग के उक्त अवकाश अवधि में श्री टी. के. वर्मा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, राजनांदगांव अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ कलेक्टर, राजनांदगांव का चालू कार्य सम्पादित करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 9 जनवरी 2009

क्रमांक 08/1133/2008/1-8/स्था.—श्री अमृत लाल लिखार, स्टाफ आफिसर, प्रमुख सचिव, गृह विभाग को दिनांक 19-1-2009 से 28-2-2009 तक 41 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अमृत लाल लिखार को प्रमुख सचिव, गृह विभाग के स्टाफ आफिसर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री अमृत लाल लिखार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रमुख सचिव, गृह विभाग के स्टाफ आफिसर के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2009

क्रमांक 40/1162/2008/1-8/स्था.—श्रीमती बिबियाना तिर्की, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को दिनांक 23-12-2008 से 3-1-2009 तक 12 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती बिबियाना तिर्की को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती बिबियाना तिर्की अवकाश पर नहीं जातीं तो अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर कार्य करती रहतीं.

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2009

क्रमांक 46/28/2009/1-8/स्था.—श्री अनुराग लाल, उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग को दिनांक 23-1-2009 से 5-2-2009 तक 14 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अनुराग लाल को उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनुराग लाल अवकाश पर नहीं जाते तो उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 28 जनवरी 2009

क्रमांक 112/40/2009/1-8/स्था.—श्रीमती विभा चौधरी, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 19-1-2009 से 24-1-2009 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. श्रीमती विभा चौधरी के अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री विजय कुमार सिंह, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग अपने कार्य के साथ-साथ संपादित करेंगे.

3. अवकाश से लौटने पर श्रीमती विभा चौधरी को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

4. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

5. प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती विभा चौधरी, अवकाश पर नहीं जातीं तो अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर कार्य करती रहतीं.

रायपुर, दिनांक 29 जनवरी 2009

क्रमांक 114/53/2009/1-8/स्था.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 1436-37/1115/2008/1-8/स्था., दिनांक 23-12-2008 द्वारा श्री मनोहर केसवानी, अवर सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय को स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 4-1-2009 से 9-1-2009 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. पैरा-2, 3 एवं 4 आदेश दिनांक 23-12-2008 के अनुसार यथावत् होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार सिंह, अवर सचिव.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 फरवरी 2009

क्रमांक एफ 1-8/खाद्य/2004/29.—राज्य शासन एतद्द्वारा माननीय श्री पुन्नूलाल मोहले, भारसाधक मंत्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को आगामी आदेश तक छ. ग. राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लि. रायपुर के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. अनन्त, सचिव.

कृषि विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 जनवरी 2009

क्रमांक/399/बी-8/11-1/2008-09/14-2.—भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग के पत्र क्रमांक/13011/02/2007-क्रेडिट-11, (पी. टी.-11) 30 सितम्बर, 2008 द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा राज्य की 18 तहसीलों में चयनित फसलों (जिनका विवरण नीचे दी गई है) के लिये पायलट आधार पर रबी, 2008-09 मौसम हेतु मौसम आधारित फसल बीमा योजना (WBCIS) लागू करती है. इस योजना का क्रियान्वयन एग्रीकल्चर इंश्योरेंश कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के माध्यम से किया जावेगा.

2. इस योजना के क्रियान्वयन की सैद्धांतिक सहमति इस आधार पर दी जाती है कि यह योजना गैर ऋणी किसानों हेतु सीमित की जावे.

3. यह स्वीकृति वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के यू. ओ. जावक क्रमांक-676/सी. एन.-20723/बजट-5/वित्त/चार/2008, दिनांक 29-12-2008 द्वारा दी गई सहमति के आधार पर दी जाती है.

पायलट मौसम आधारित फसल बीमा योजना मौसम रबी वर्ष 2008-09 की जिलों एवं तहसीलों की सूची :—

क्र.	जिला	चयनित तहसीलें	चयनित फसल
1.	दुर्ग	(1) दुर्ग, (2) बेमेतरा, (3) बेरला, (4) साजा, (5) नवागढ़.	(1) चना, (2) अलसी, (3) राई-सरसों
2.	राजनांदगांव	(1) राजनांदगांव, (2) डोंगरगांव	(1) चना, (2) अलसी, (3) राई-सरसों
3.	कवर्धा	(1) कवर्धा, (2) पंडरिया	(1) चना, (2) अलसी, (3) राई-सरसों
4.	बिलासपुर	(1) बिलासपुर, (2) मुंगेली, (3) लोरमी	(1) चना, (2) अलसी, (3) राई-सरसों
5.	सरगुजा	(1) अंबिकापुर, (2) सीतापुर, (3) सूरजपुर, (4) लुन्ड्रा, (5) पाल, (6) सामरी (कुसमी).	(1) आलू

मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अंतर्गत एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड को देय कुल प्रीमियम राशि (जिसमें कृषकों द्वारा देय प्रीमियम राशि भी सम्मिलित है) जोखिम अवधि, आवरित जोखिम, बीमा राशि, बीमा हेतु अंतिम तिथियों का जिलेवार, फसलवार, मौसम केन्द्रवार विवरण परिशिष्ट-1 पर है.

इस योजना का क्रियान्वयन रबी, 2008-09 में निम्नानुसार किया जाएगा :—

1. मौसम आधारित फसल बीमा योजना में अधिसूचित फसल एवं क्षेत्रों के लिये राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना क्रियान्वित नहीं की जाएगी अर्थात् उपरोक्त फसलों हेतु उपरोक्त दर्शित तहसीलों में तहसील इकाई आधार पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को रबी 2008-09 मौसम में क्रियान्यवन हेतु इस विभाग की जारी अधिसूचना क्रमांक 5881 दिनांक 02-10-2008 विलोपित की जाती है.

2. यह पायलट योजना अधिसूचित फसल व क्षेत्र के अऋणी किसानों को उपलब्ध होगी.

3. इस योजना के लिए ऋणी किसान वही हैं, जिनके लिए अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल के लिए संदर्भित इकाई क्षेत्र में वित्तीय संस्थान से अनुमोदित ऋण/साख सीमा दी गई हो.

4. बीमित राशि लगभग कृषि कार्य खर्च के बराबर रहेगी और ए. आई. सी. द्वारा पहले इसकी घोषणा कर दी जाएगी, संलग्न परिशिष्ट-1 में इसका विवरण है. व्यक्तिगत कृषक के लिए बीमित राशि कृषकों द्वारा जोत के अन्तर्गत अधिसूचित फसल के लिए रकबा (हेक्टेयर में) एवं अधिसूचना में दर्शायी गयी बीमित राशि का गुणांक होगा. जोत के अन्तर्गत रकबा हमेशा हेक्टेयर में दर्शाया जाएगा.

[बीमा राशि जोत के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर) × पूर्व निर्धारित बीमा राशि प्रति हेक्टेयर]

5. फसलवार जोत के अन्तर्गत क्षेत्र के प्रति फसल के आधार पर निम्नानुसार गणना होगी :—

   (क) **ऋणी कृषक :—** अधिसूचित फसल के लिए जोत के अन्तर्गत रकबे की घोषणा उसके द्वारा पहले ही वित्तीय संस्था में उसकी अधिकतम ऋण सीमा (मैक्जीमम बारोइंग लिमिट, एबीएल) निश्चित करने के उद्देश्य के लिए, ऋण आवेदन पत्र में दिए गए आधार पर कर दी जाएगी.

   (ख) **अऋणी कृषक :—** किसान बीमा प्रस्ताव पत्र में प्रत्येक अधिसूचित फसल के लिए जोत के अन्तर्गत रकबे की घोषणा करेगा.

6. इस योजना का संचालन चयनित अधिसूचित संदर्भित इकाई क्षेत्र में "क्षेत्र दृष्टिकोण" (एरिया एप्रोच) सिद्धांत के आधार पर होगा "क्षेत्र दृष्टिकोण" से आशय संदर्भ इकाई क्षेत्र से हैं संदर्भित इकाई क्षेत्र को फसलों की जोखिम स्वीकार करने और मुआवजा आंकलन के लिए बीमित इकाई क्षेत्र माना गया है. इसी प्रकार, अधिसूचित संदर्भित इकाई क्षेत्र में अधिसूचित फसल के सभी बीमित किसानों को उनकी बीमा शर्तों और मुआवजा आंकलन के संबंध में बराबर माना जाएगा.

7. प्रीमियम दर की गणना वास्तविक आधार पर मानक प्रीमियम दर विधि (स्टेंडर्ड प्रीमियम रेटिंग मेथेडोलोजी) का उपयोग कर की गई है. किसान द्वारा शुद्ध प्रीमियम राशि के बराबर देय होगी एवं व्यावसायिक फसल हेतु प्रीमियम राशि को एक भाग कृषक द्वारा तथा शेष बची हुई प्रीमियम राशि का राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा 50 : 50 के अनुपात में अनुदान के रूप में वहन किया जायेगा. (फसलवार, क्षेत्रवार ब्योरा परिशिष्ट-1 में दिया गया है.)

8. प्रतिकूल मौसमी घटनाक्रम की वजह से एवं योजना की शर्तों एवं प्राप्त प्रीमियम राशि तथा भुगतान सारणी के अधीन देय समस्त क्षतिपूर्ति/भुगतान हेतु एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इण्डिया (AIC) उत्तरदायी होगी.

9. सभी प्रकार के दावों का भुगतान एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा वहन किया जाएगा.

10. **दावा भुगतान प्रक्रिया :—**

    (क) दावा राशि का भुगतान ए. आई. सी. द्वारा मौसम केन्द्र द्वारा आंकड़े व सरकार द्वारा कोष उपलब्ध कराने पर शीर्ष बैंक शाखा को बीमा अवधि समाप्त होने पर 45 दिनों के भीतर कर दिया जायेगा.

    (ख) चालू वर्ष में मौसम के आंकड़ों का स्रोत परिशिष्ट-1 पर दर्शाया गया है.

    (ग) मुआवजा प्रक्रिया स्वचलित होगी, एआईसी द्वारा मुआवजा आंकलन, प्राप्त वास्तविक मौसम के आकड़े के आधार पर किया जायेगा, बीमित के खाते में, शीर्ष बैंक वित्तीय संस्था का उपयोग करते हुये मुआवजा राशि स्वयं ही जमा करा दी जायेगी.

11. अधिसूचित तहसीलों एवं फसलों में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनान्तर्गत प्रायोजित फसल कटाई प्रयोगों का आयोजन यथावत् किया जाएगा, किन्तु इन प्रयोगों के परिणाम का कोई असर मुआवजे की गणना अथवा भुगतान पर नहीं पड़ेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

ANNEXURE-I

GRAM WEATHER INSURANCE (RABI) IN CHHATTISGARH

TERMSHEET

District : Bilaspur, Rajnandgaon, Durg and Kawardha
Crop : GRAM

Tehsils : All Notified Tehsils
RABI 2008-09

SUM-INSURED PER HECTARE (Rs.) 15000
SUM-INSURED PER ACRE (Rs.) 6000

Reference Weather Station : IMD/Automatic Weather Station (AWS) of NCMSL

Cover 1 : Heat or Rise in Mean Temperature

Cover objective	To cover anticipated yield loss due to rise in temperature, measured as per the payout table
Cover period	1st January to 15th March 2009
Nature of cover	Sum of various fortnights

Rise in temperature Vs. Payout Table :

Priod fortnight	1 to 15 Jan. 09	16 to 31 Jan. 09	1 to 14 Feb. 09	15 to 28 Feb. 09	1 to 15 Mar. 09
Normal Temp. °C	18.3	19.3	20.4	21.3	24.6
Rise in fortnightly mean temp. °C	Payout percentage of sum-insured				
1.0	1.60	1.59	0.00	0.00	0.00
2.0	3.18	2.98	2.15	0.00	0.00
3.0	2.80	4.60	3.40	1.08	0.00
4.0	6.23	5.99	4.81	1.52	1.00
5.0	8.02	7.33	6.20	2.49	2.00
6.0	9.77	8.79	8.00	3.67	3.00

Note : Total payout under this cover shall be capped at Rs. 6750 per hectare or Rs. 2700 per acre

Cover 2 : Damage to crop due to un-seasonal/excess rainfall

Cover Objective — To cover anticipated yield loss due to un-seasonal/excess rainfall

Cover period — 16th January to 31st March 2009

Nature of cover — Multiple events

Un-seasonal/Excess rainfall Vs. Payout Table :

Priod fortnight	16 to 31 Jan. 09	1 to 14 Feb. 09	15 to 28 Feb. 09	1 to 15 Mar. 09	16-31 Mar. 09
Daily Rainfall (mm) excess over	Payout percentage of sum-insured				
20	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5
25	3.0	3.0	4.0	5.0	5.0
35	5.0	5.0	6.0	7.0	7.0
50	7.0	7.0	8.0	10.0	10.0
70	10.0	10.0	10.0	12.0	12.0

Note : Total payout under this cover shall be capped at Rs. 4500 per hectare or Rs. 1800 per acre

Cover 3 : Congenial Climate for Pod Borer Attack

Cover Objective — To cover anticipated yield loss due to congenial climate leading to pod borer attack

Cover period — 16th January to 31st March 2009

Nature of cover — Sum of various fortnights

Definition of congenial climate for pod borer attack

Minimum Temperature (°C) over : 10
Maximum Temperature (°C) Between : 28 and 33
Relative Humidity (%) : 75 and 85

Period of occurrence	16 to 31 Jan. 09	1 to 14 Feb. 09	15 to 28 Feb. 09	1 to 15 Mar. 09	16 to 31 Mar. 09
Payout (% of Sum Insured)	10%	14%	15%	13%	8%

Note : Total payout under this cover shall be capped at Rs. 3750 per hectare or Rs. 1500 per acre

Premium sharing under the Pilot (Rs.)

	Payable by the farmer	State Govt. Share	Central Govt. Share	Total Premium
Per Hectare	300	450	450	1200
Per Acre	120	180	180	480

ANNEXURE-I

LINSEED WEATHER INSURANCE (RABI) IN CHHATTISGARH

TERMSHEET

District : Bilaspur, Rajnandgaon, Durg and Kawardha
Crop : LINSEED

Tehsils : All Notified Tehsils
RABI 2008-09

SUM-INSURED PER HECTARE (Rs.) 15000
SUM-INSURED PER ACRE (Rs.) 6000

Reference Weather Station : IMD/Automatic Weather Station (AWS) of NCMSL

Cover 1 : Heat or Rise in Mean Temperature

Cover Objective	To cover anticipated yield loss due to rise in temperature, measured as per the payout table
Cover period	1st January 09 to 28th February 09
Nature of cover	Sum of various fortnights

Rise in temperature Vs. Payout Table :

Priod fortnight	1 to 15 Jan. 09	16 to 31 Jan. 09	1 to 14 Feb. 09	15 to 28 Feb. 09
Normal Temp. °C	18.30	19.30	20.40	21.30
Rise in fortnightly mean temp. °C	Payout percentage of sum-insured			
1.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2.0	0.00	0.00	2.20	6.03
3.0	0.00	0.00	3.13	8.34
4.0	2.00	1.59	4.71	11.78
5.0	1.89	2.99	5.76	13.63
6.0	2.36	3.39	6.04	15.06

Note : Total payout under this cover shall be capped at Rs. 3750 per hectare or Rs. 1500 per acre

Cover 2 : Damage to crop due to un-seasonal/excess rainfall

Cover Objective	To cover anticipated yield loss due to un-seasonal/excess rainfall
Cover period	1st January 09 to 28th February 09
Nature of cover	Multiple events

Un-seasonal/Excess rainfall Vs. Payout Table :

Priod fortnight	1 to 15 Jan. 09	16 to 31 Jan. 09	1 to 14 Feb. 09	15 to 28 Feb. 09
Daily Rainfall (mm) excess over	Payout percentage of sum-insured			
0	0.0	0.0	0.0	0.0
0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	5.0	5.0	5.0	15.0
35	7.0	10.0	10.0	22.0
50	8.0	11.0	15.0	32.0

Note : Total payout under this cover shall be capped at Rs. 6000 per hectare or Rs. 2400 per acre

Cover 3 : Congenial Climate for Disease

Cover Objective	To cover anticipated yield loss due to congenial climate for pest/disease
Cover period	1st January 09 to 28th February 09
Nature of cover	Sum of various fortnights

Definition of congenial climate for pest/disease

Minimum Temperature (°C) between	:	5 and 8
Maximum Temperature (°C) Between	:	18 and 24
Relative Humidity (%)	:	65

Period of occurrence	1 to 15 Jan. 09	16 to 31 Jan. 09	1 to 14 Feb. 09	15 to 28 Feb. 09
Payout (% of Sum Insured)	5%	7.5%	10%	12.5%

Note : Total payout under this cover shall be capped at Rs. 5250 per hectare or Rs. 2100 per acre

Premium sharing under the Pilot (Rs.)

	Payable by the farmer	State Govt. Share	Central Govt. Share	Total Premium
Per Hectare	300	450	450	1200
Per Acre	120	180	180	480

ANNEXURE-I

MUSTARD WEATHER INSURANCE (RABI) IN CHHATTISGARH

TERMSHEET

District : Bilaspur, Rajnandgaon, Durg and Kawardha   Tehsils : All Notified Tehsils
Crop : MUSTARD   RABI 2008-09

SUM-INSURED PER HECTARE (Rs.)   15000
SUM-INSURED PER ACRE (Rs.)   6000

Reference Weather Station : IMD/Automatic Weather Station (AWS) of NCMSL

Cover 1 : Heat or Rise in Mean Temperature

Cover objective   To cover anticipated yield loss due to rise in temperature, measured as per the payout table

Cover period   1st January to 15th March 2009

Nature of cover   Sum of various fortnights

Rise in temperatue Vs. Payout Table :

Priod fortnight	1 to 15 Jan. 09	16 to 31 Jan. 09	1 to 14 Feb. 09	15 to 28 Feb. 09	1 to 15 Mar. 09
Normal Temp. °C	18.3	19.3	20.4	21.3	24.6
Rise in fortnightly mean temp. °C	Payout percentage of sum-insured				
1.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.0	1.18	1.18	2.20	6.03	1.80
3.0	1.76	1.76	3.13	8.34	2.54
4.0	1.89	1.89	4.71	11.78	3.29
5.0	2.00	2.00	5.76	13.63	4.03
6.0	2.36	3.39	6.04	15.06	4.78

Note : Total payout under this cover shall be capped at Rs. 6750 per hectare or Rs. 2700 per acre

Cover 2 : Damage to crop due to un-seasonal/excess rainfall

Cover Objective   To cover anticipated yield loss due to un-seasonal/excess rainfall

Cover period   1st January to 31st March 2009

Nature of cover   Multiple events

Un-seasonal/Excess rainfall Vs. Payout Table :

Priod fortnight	1 to 15 Jan. 09	16 to 31 Jan. 09	1 to 14 Feb. 09	15 to 28 Feb. 09	1 to 15 Mar. 09	16-31 Mar. 09
Daily Rainfall (mm) excess over	Payout percentage of sum-insured					
0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	0.0	0.0	0.0	2.5	3.0	5.0
25	2.0	5.0	5.0	5.0	7.0	10.0
35	5.0	7.0	10.0	10.0	12.0	15.0
55	7.0	8.0	11.0	15.0	17.0	20.0

Note : Total payout under this cover shall be capped at Rs. 4500 per hectare or Rs. 1800 per acre

Cover 3 : Congenial Climate for Pest/Disease

Cover Objective — To cover anticipated yield loss due to congenial climate leading to Pest/Disease

Cover period — 16th January 09 to 28th February 2009

Nature of cover — Sum of various fortnights

Definition of congenial climate for Pest/Disease

Minimum Temperature (°C) Between : 5 and 8
Maximum Temperature (°C) Between : 18 and 24
Relative Humidity (%) : 65

Period of occurrence	1 to 15 Jan. 09	16 to 31 Jan. 09	1 to 14 Feb. 09	15 to 28 Feb. 09
Payout (% of Sum Insured)	5%	7.5%	10%	12.5%

Note : Total payout under this cover shall be capped at Rs. 3750 per hectare or Rs. 1500 per acre

Premium sharing under the Pilot (Rs.)

	Payable by the farmer	State Govt. Share	Central Govt. Share	Total Premium
Per Hectare	300	450	450	1200
Per Acre	120	180	180	480

ANNEXURE-1

POTATO WEATHER INSURANCE (RABI) IN CHHATTISGARH

TERMSHEET

District : Sarguja — Tehsils : Ambikapur, Sitapur, Surajpur, Lundra, Pal & Samri
Crop : POTATO — RABI 2008-09

SUM-INSURED PER HECTARE (Rs.) 50000
SUM-INSURED PER ACRE (Rs.) 20000

Reference Weather Station : IMD/Automatic Weather Stations (AWS) of NCMSL

Cover 1 : Damage to crop due to low temperatures

Cover Objective	To cover anticipated yield loss due to drop in night temperature
Cover period	1st January to 14th February 2009
Event Definition	Temperature below 5°C consecutively for 3 or more number of days
Cover Sub-limit	Rs. 10000 per hectare or Rs. 4000 per acre

Frost Vs. Payout Table :

S. No.	Period	Proportion/percentage of sub limit payable as claim
1.	1st - 7th January	100%
2.	8th - 15th January	75%
3.	16th - 22nd January	60%
4.	23rd - 31st January	20%
5.	1st - 7th February	8%
6.	8th - 14th February	3%

Note : If the 3 day event begins one period and ends during the following period, the payout payable is that of the period during which the 3 day event ends and multiple events shall be considered for final payment.

Cover 2 : Damage to crop due to Disease congenial climate

Cover Objective	To cover anticipated yield loss due to disease congenial climate
Cover period	1st January to 14th February 2009
Event Definition	Relative Humidity of 75% or above with Minimum temperature being above 9 °C and Maximum temperature below °C consecutively for 4 days (Single event will considered for final payment)
Cover Sub-limit	Rs. 10000 per hectare or Rs. 4000 per acre

Disease congenial climate Vs. Payout Table :

Period	1-15th January	16-31st January	1-14th February
Payout (%)	100%	72%	41%

Note : If the 4 day event begins during one period and ends during the following period, the payout payable is that of the period during which the 4 day event begins and the payout shall be considered for the single event in which the payout is maximum.

Cover 3 : Damage to crop due to un-seasonal/excess rainfall

Cover Objective — To cover anticipated yield loss due to un-seasonal/excess rainfall

Cover period — 16th January to 14th February 2009

Event Definition — Rainfall of 15 mm or above on a single day

Cover Sub-limit — Rs. 15000 per hectare or Rs. 6000 per acre

Un-seasonal/Excess rainfall Vs. Payout Table

Per day rainfall	>15-<20 mm	>20-<30 mm	>30-<50 mm	>50-<70 mm	>70 mm
Payout (%)	20%	40%	60%	80%	100%

Note : Multiple events shall be considered for the final payment

Cover 4 : Poor Tuberization due to rise in temperature

Cover Objective — To cover anticipated yield loss on account of rise in temperature due to poor tuberization during tuber development.

Cover period — 1st January - 14th February 2009

Event Definition — 10 days with mean temperature above the trigger levels

Trigger Levels :

Period	1-15 Jan.	16-31 Jan.	1-14 Feb.
Trigger (°C)	18.5	19.5	21

Cover Sub-limit : Rs. 15000 per hectare or Rs. 6000 per acre

High Temperature days Vs. Payout Table

Sum of Events in days	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35 and above
Payout (%)	20	40	60	80	90	100

Premium sharing under the Pilot (Rs.)

	Payable by the farmer	State Govt. Share	Central Govt. Share	Total Premium
Per Hectare	3000	1500	1500	6000
Per Acre	1200	600	600	2400

ग्रामोद्योग विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2008

क्रमांक एफ 1-6/2008/(6) 52.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ ग्रामोद्योग संचालनालय (रेशम प्रभाग) चतुर्थ श्रेणी सेवा में भर्ती की पद्धति एवं क्षेत्र को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम :—**

   (1) ये नियम "छत्तीसगढ़ ग्रामोद्योग संचालनालय (रेशम प्रभाग) चतुर्थ श्रेणी सेवा तथा भर्ती नियम 2008" कहलायेंगे.

   (2) ये राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **प्रयोज्यता :—** ये नियम अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे.

3. **वर्गीकरण तथा वेतनमान :—** सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा उसके लिये वेतनमान, भर्ती की पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य विषय अनुसूची के कॉलम (3) से (12) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार होंगे.

4. **आरक्षण :—**

   (1) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण होगा. सीधी भर्ती के पदों के लिए आरक्षण छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 के उपबंधों के अनुसार होगा.

   (2) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिये पदोन्नति में आरक्षण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पदोन्नति एवं विचार के क्षेत्र में आरक्षण) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार होगा.

   (3) महिलाओं के लिए आरक्षण-महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (लोक सेवा एवं पक्ष में महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार होगा.

5. **व्यावृत्ति :—** इन नियमों में की कोई भी बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये भूतपूर्व सैनिक, शासकीय सेवक के परिवार के एक सदस्य की अनुकम्पा नियुक्ति जिसकी मृत्यु सेवावधि के दौरान हुई है विकलांग व्यक्ति तथा अन्य श्रेणी से संबंधित अन्य व्यक्तियों के लिए विनियमित होंगे तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार उपबंधित आरक्षण तथा शिथिलीकरण को प्रभावित नहीं करेगी.

6. **निरसन और व्यावृत्ति :—** इन नियमों के तत्स्थानी और इनके प्रारम्भ होने के ठीक पहले लागू सभी नियम इसके द्वारा, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं.

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों केअधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्रवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणु जी. पिल्ले, सचिव.

अनुसूची

क्र.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	भर्ती का तरीका भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत-सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति या स्थानांतरण या भिन्न तरीकों द्वारा	आयु सीमा न्यूनतम/अधिकतम	विहित शैक्षणिक अर्हता	परिवीक्षा अवधि	विहित आयु सीमा तथा शैक्षणिक योग्यता जो सीधी भर्ती पर लागू होगी	पदोन्नति या स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में पद जिससे पदोन्नति की जायेगी	सीधी भर्ती तथा पदोन्नति हेतु चयन समिति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	प्रवर्तक	209	चतुर्थ श्रेणी	2610-60-3150-65-3540	80% सीधी भर्ती द्वारा तथा 20% पदोन्नति द्वारा	18 से 35 वर्ष	8वीं उत्तीर्ण	2 वर्ष	कॉलम नं. 7 से 9	5 वर्षों की लगातार सेवावधि	1. संयुक्त संचालक (रेशम) अध्यक्ष 2. उप संचालक (रेशम) सदस्य 3. उप संचालक (रेशम) सदस्य
2.	भृत्य	36	चतुर्थ श्रेणी	2550-55-2660-60-3200	100% सीधी भर्ती	तदैव	5वीं उत्तीर्ण	2 वर्ष	कॉलम नं. 7 से 9	तदैव	तदैव

रायपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2008

क्रमांक एफ 1-6/2008/(6) 52.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-6/2008/(6) 52 दिनांक 13-10-2008 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणु जी. पिल्ले, सचिव.

Raipur, the 13th October 2008

No. F 1-6/2008 (6) 52.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following rules to regulate the method and scope of recruitment to the Class-IV service in Chhattisgarh Directorate of Rural Industries (Sericulture Sector), namely :—

RULE

1. **Short Title.—**
   (1) This rule may called Chhattisgarh Directorate of Rural Industries (Sericulture Sector), Class-IV Service and Recruitment Rule, 2008.

   (2) It shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Application.—** This rule shall apply to the posts specified in column (2) of the Schedule.

3. **Classification and Scale of Pay etc.—**The Classification of Service, the number of posts included in the service and the scale of pay attached thereto method of recruitment, age limit and other matters shall be in accordance with provisions contained in column (3) to (12) of Schedule.

4. **Reservation.—**
   (1) Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes. Reservation for the posts of direct recruitment shall be made in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Public Service (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994.

   (2) Reservation in promotion shall be made for the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes in accordance with provision of Chhattisgarh Civil Service (Reservation in promotion and zone of consideration) Rules, 1997.

   (3) Reservation for women, Reservation for women candidates shall be made in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Civil Service (Special Provision of Appointment of Women in Public Service and Posts) Rules, 1997.

5. **Saving.—**Nothing in these rules shall effect reservation and relaxation provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Other Backward Classes for Ex-serviceman compassionatory appointment to the one member of the family of the Government employees, who dies during service period, handicapped persons and other persons belonging to other categories and shall be regulated in accordance with the orders issued by the State Government from time to time in this regard.

6. **Repeal and Saving.—**All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules.

   Provided that any order made or any action taken under rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
RENU G. PILLAY, Secretary.

SCHEDULE

FOR DIRECT RECRUITMENT

S. No.	Name of post	Number of post	Classification	Scale of Pay	Method of recruitment percentage of vacant posts to be filled by direct recuritment or by promtion or by transfer and by different methods	Age limit/ Minimum/ Maximum	Prescribed Educational qualifica-tion	Period of probation trial if any	Whether in the case of promotion prescribed limit age and educational qualification to the direct recruitment will be apply	In case of recruitment by promotion or transfer post from with promotion transfer will be made	Selection committee for direct Recruitment and promotion
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Operative	209	Class-IV	Rs. 2610-60-3150-65-3540	Direct recruitment 80% and 20% by Promotion	18 to 35 Years	8th Pass	2 Years	Column No. 7 to 9	5 Years Continuous service	(i) Joint Director (Sericulture) Chairman (ii) Deputy Director (Sericulture) Member (iii) Deputy Director (Sericulture) Member
2.	Peon	36	Class-IV	Rs. 2550-55-2660-60-3200	100% Direct Recruitment	—,,—	5th Pass	2 Years	Column No. 7 to 9	—,,—	—,,—

Note :— (1) To consider for promotion on the post of Operative combined seniority list of Peon shall be made and the name of employees in such seniority list shall be placed on the basis of officiating continuous service rendered by them on the lower posts.

(2) For promotion on the post of Operative nominated Departmental Promotion Committee shall be constituted which shall be nominated by Joint Director (Sericulture).

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2008

प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2006-07.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित अधिनियम 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	सुखेना	3.65	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	खोंगसरा व्यपवर्तन योजना अंतर्गत सुखेना एवं पहंदा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2008

प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2006-07.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित अधिनियम 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	ढोलमौहा	1.86	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग पेण्ड्रारोड.	खोंगसरा व्यपवर्तन योजना अंतर्गत सुखेना नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि वोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 19 जनवरी 2009

क्रमांक 01/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	रामभांठा प. ह. नं. 08	0.040	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नेहर संभाग, क्र. 04, डभरा.	टेल माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव बांगो परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. सी. महावर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 24 जनवरी 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 11/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-पाली
- (ग) नगर/ग्राम-चैतमा, प. ह. नं. 02
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.471 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
54/1, 57/5, 58/5	0.040
55/2	0.020
57/4	0.404
64/1	0.364
64/2	0.040
64/3	0.202
160	0.138
162	0.049
166/1	0.081
166/6	0.121
54/3, 57/4, 58/1, 63	0.012
योग	1.471

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चैतमा व्यपवर्तन योजना के वियर (शीर्ष कार्य) का निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 24 जनवरी 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 18/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-पाली
- (ग) नगर/ग्राम-मानिकपुर, प. ह. नं. 02
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.752 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
518/1	0.053
518/2	0.049
518/3	0.053
519	0.162
520	0.154
521	0.162
547/1	0.057
547/2	0.057
548/1	0.045
548/2	0.045
549	0.105
550	0.109
551	0.138
552	0.129
553	0.093
554	0.239
555	0.239
556	0.081
557	0.028
558	0.101
559	0.057
560	0.271
561	0.405
563	0.097
564	0.097
565	0.101
566	0.243
567	0.073
568	0.097
569	0.182
570	0.194
572/1	0.206
572/2	0.210
572/3	0.210
573	0.210
योग	4.752

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- मानिकपुर जलाशय के डूब क्षेत्र निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 24 जनवरी 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 32/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-पाली
- (ग) नगर/ग्राम-चैतमा, प. ह. नं. 02
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.025 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
159	0.004
166/1	0.040
166/2	0.028

(1)	(2)
166/3	0.081
167, 168	0.053
169/1	0.012
931/1	0.049
931/2	0.049
931/3	0.053
933	0.049
937	0.032
938/1, 940/1	0.122
938/2	0.122
938/2 ख, 940/2 ख	0.081
938/3	0.040
1027	0.012
1028	0.040
1029	0.045
1039	0.077
1067	0.206
1070/1	0.004
1070/3	0.012
1070/4	0.012
1070/5	0.016
1070/6	0.012
1071	0.089
1074	0.024
1082	0.098
1086	0.045
1087	0.109
1095	0.057
1096	0.113
1098/1	0.004
1100	0.032
1100	0.028
1101	0.081
1104/2	0.081
1105	0.065
1108/1	0.061
1151/2	0.024
1156	0.053
1159	0.024
1161	0.008
1167, 1168	0.024
1169	0.004
1170	0.008
1174	0.008
1175	0.162
1185	0.122
1186	0.049
1187	0.020
1188	0.080
1189	0.004
1190	0.012
1205	0.085
1206	0.012
1207	0.004
1208	0.040
1209	0.024
1210	0.020
1211	0.024
1212	0.146
1217/1, 1299/1, 1301/2	0.081
1218/1	0.032
1218/2	0.008
1225/1	0.068
1273, 1274, 1275	0.122
1282/1	0.049
1282/3	0.004
1282/4	0.049
1283/2 क	0.081
1283/2 ख	0.040
1288	0.004
1291	0.053
1293	0.008
1294	0.040
1295/2	0.194
1295/1, 1296/1	0.024
1295/3, 1296/2	0.073
योग	4.025

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चैतमा व्यपवर्तन के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.